

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

1135

दिनांक

23/05/2022

प्रार्थीगण :-

1. रूपा 2.सारंगा पि. नवला
जातियान नाई, निवासी प्रेमसिंह की ढाणी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.खेताराम पुत्र रिझूराम, जाति नाई 2.भूगड़ा
पुत्र नरसा, जाति मेघवाल, 3.अजीमराम पुत्र
जोगाराम 4.जगमाल 5.राणा पि.मनसुख
6.सिकाराम पुत्र हंसाराम, जातियान भील
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी (देदूसर)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
7.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 325/2018

दिनांक : 06.05.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा प्रेमसिंह की ढाणी के खेत खसरा सं. 605/407 रकबा 50.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1136 to 1139

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण रूपा वगैरा
3. विप्रार्थीगण खेताराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 23/05/2022



(भागरिथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन